शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
E ISSN 2320 – 0871
17 सितम्बर 2025
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

सम्पादकीय

भाषा रक्षण का स्तुत्य निर्णय

डॉ.पुष्पेन्द्र दुबे

मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने 2025 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिन्दी भाषा के पाठ्यक्रम को लेकर स्तुत्य निर्णय लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर संचालित होने वाले आधार पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्नपत्र हिन्दी भाषा और संस्कृति को वस्तुनिष्ठ के स्थान पर वर्णनात्मक कर दिया है। मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों के हिन्दी भाषा और साहित्य के अध्यापकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम में व्याकरणाचार्य पाणिनी को शामिल किया गया है। इस पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं में राम को पहले से ही स्थान प्राप्त था। मध्यप्रदेश एक हिन्दी भाषी राज्य है। यहां की राजभाषा हिन्दी है। इस राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी भाषा को प्रमुख स्थान प्राप्त है। रोजगार की दृष्टि से भी हिन्दी में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते समय इस पाठ्यक्रम को किन्हीं कारणों से वस्तुनिष्ठ आधार पर कर दिया गया था। इस निर्णय से हिन्दी के प्राध्यापकों के साथ-साथ विद्यार्थी भी असहमत थे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों में अन्य हिन्दी भाषी राज्यों के परीक्षार्थियों से पिछड़ जाने का भय पैदा हो गया था। प्रश्नों के विस्तार से उत्तर देने का अभ्यास छूट जाने से संप्रेषण कौशल भी प्रभावित होने का खतरा उपस्थित हो गया था। आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति समाप्त कर देने से विद्यार्थियों में भाषा के प्रति अरुचि पैदा हो गयी थी। नवीन पाठ्यक्रम में परीक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया है। अब हिन्दी भाषा के अध्यापन के लिए वर्ष में 30 घंटे निर्धारित किए गए हैं। प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा, जिसमें से 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे और 70 अंक बाह्य परीक्षा के लिए रखे गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हटा दिया गया है। ऐसा ही अंग्रेजी भाषा के पाठ्यक्रम में भी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रत्येक इकाई के साथ विद्यार्थियों के लिए गतिविधि भी निर्धारित की गई है। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित पोस्टर मैकिंग, मॉडल मैकिंग या कक्षा में स्वयं को प्रस्तुत करने का भाग भी जोड़ा गया है। हिन्दी भाषी राज्य में हिन्दी भाषा के रक्षण से युवा पीढ़ी संप्रेषण कौशल में निपुण होगी। मध्यप्रदेश शासन के इस निर्णय का शब्द-ब्रह्म हार्दिक स्वागत करता है।